

बिहार सरकार
शिक्षा विभाग

अधिसूचना

संख्या: 11 / नि 03-01/2025

पटना, दिनांक

भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के "परन्तुक" के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार-राज्यपाल राज्य के माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों में विद्यालय पुस्तकालयाध्यक्ष के पदों पर नियुक्ति एवं उनके सेवाशर्त को विनिश्चित करने हेतु निम्नांकित नियमावली बनाते हैं :—

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ ।—

- (क) यह नियमावली "बिहार विद्यालय पुस्तकालयाध्यक्ष (नियुक्ति, स्थानान्तरण, अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवाशर्त) नियमावली, 2025" कही जायेगी।
- (ख) इसका विस्तार संपूर्ण बिहार राज्य में होगा।
- (ग) यह राजपत्र में प्रकाशित होने की तिथि से प्रवृत्त होगी।

2. परिभाषाएँ ।— इस नियमावली में जब तक विषय या संदर्भ के विरुद्ध कोई बात न हो —

- (i) "**सरकार**" से अभिप्रेत है, बिहार सरकार;
- (ii) "**प्रशासी विभाग**" से अभिप्रेत है, शिक्षा विभाग;
- (iii) "**विद्यालय**" से अभिप्रेत है, बिहार सरकार द्वारा संचालित एवं नियंत्रित राजकीय, राजकीयकृत, प्रोजेक्ट कन्या एवं राजकीय बुनियादी विद्यालय, जिसमें सभी उत्क्रमित/नवस्थापित उच्च माध्यमिक विद्यालय भी सम्मिलित हाँगे ;
- (iv) "**माध्यमिक विद्यालय**" से अभिप्रेत है, राजकीय/राजकीयकृत/प्रोजेक्ट कन्या उच्च माध्यमिक विद्यालय/नवस्थापित माध्यमिक विद्यालय/उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालय, जिसमें कक्षा-10 तक की पढ़ाई होती है;
- (v) "**उच्च माध्यमिक विद्यालय**" से अभिप्रेत है, राजकीय/राजकीयकृत/प्रोजेक्ट कन्या उच्च माध्यमिक विद्यालय/नवस्थापित उच्च माध्यमिक विद्यालय/ उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालय, जिसमें कक्षा-12 तक की पढ़ाई होती है;

पुस्तकालयाध्यक्ष के लिए आयोजित की जाने वाली पात्रता परीक्षा ;

(xvi) "आयोग" से अभिप्रेत है, बिहार लोक आयोग ;

3. संवर्ग की संरचना |—

(i) इस संवर्ग की संरचना निम्नवत् होगी:-

क्र0सं0	पदनाम	पद का स्तर
01	विद्यालय पुस्तकालयाध्यक्ष	मूल कोटि

(ii) यह संवर्ग जिला स्तरोय होगा।

(iii) इस संवर्ग के विभिन्न पदों का स्वीकृत बल एवं वेतनमान वही होगा जो सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित किया जायेगा।

4. नियुक्ति की प्रक्रिया |—

(i) भारत का नागरिक हो एवं बिहार का निवासी हो।

(ii) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से न्यूनतम 45 प्रतिशत अंको के साथ स्नातक की डिग्री हो। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति/अत्यन्त पिछड़ा वर्ग/पिछड़ा वर्ग/दिव्यांग/महिला एवं आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए न्यूनतम निर्धारित अंक में 05 प्रतिशत की छूट दी जाएगी (यह छूट केवल बिहार के निवासी को देय होगा)। मोलाना मजहरुल हक अरबी एवं फारसी विश्वविद्यालय, पटना/ बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड द्वारा प्रदत्त आलिम की डिग्री एवं कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त शास्त्री के डिग्री को स्नातक के समतुल्य माना जायेगा।

(iii) मान्यता प्राप्त किसी विश्वविद्यालय द्वारा दी गयी पुस्तकालय विज्ञान में स्नातक की डिग्री।

(iv) बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा विद्यालय पुस्तकालयाध्यक्ष के लिए आयोजित पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण।

(v) पुस्तकालयाध्यक्ष की नियुक्ति के लिए नियुक्ति वर्ष की पहली अगस्त को अभ्यर्थियों की न्यूनतम आयु 21 वर्ष एवं कोटिवार अधिकतम आयु सीमा वही होगी जो राज्य सरकार (सामान्य प्रशासन विभाग) द्वारा समय-समय पर विहित की जाय। इस नियमावली के प्रवृत्त होने के पश्चात् पात्रता परीक्षा एवं नियुक्ति के प्रथम सम्ब्यवहार में अधिकतम आयु सीमा में 10 वर्ष की छूट देय होगी।